Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025
fb: https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/ website: www.popularfrontindia.org
email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
25 फरवरी 2018

झारखण्ड में प्रतिबंध फासीवाद विरोधी गतिविधियों को मिटाने की कोशिशः पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सचिवालय की मैसूर में आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि झारखण्ड की बीजेपी सरकार द्वारा राज्य में संगठन पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य ऐसी तमाम गतिविधियों को मिटाना है, जिसका प्रदर्शन पॉपुलर फ्रंट राज्य के अंदर फासीवादी ताक़तों और उनकी मातहत सरकारी एजेंसियों के ख़िलाफ क़ानूनी व लोकतांत्रिक तरीकों से कर रहा है।

2015 में जब से हमारे संगठन का ऐलान राज्य के अंदर हुआ है, उसी वक्त से हमारे सदस्यों ने आगे बढ़कर भड़काऊ भाषणों, लिंचिंग और पुलिस के अतयाचार जैसे मानवाधिकार के उल्लंघनों के ख़िलाफ लड़ाई लड़ी है। जिस समय संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया, उस समय भी संगठन दर्जनों केस लड़ रहा था, जिसमें 6 लिंचिंग की घटनाएं और दो पुलिस के अत्याचार के खिलाफ मुकदमे भी शामिल थे। पुलिस के अत्याचार के खिलाफ दो मामलों में से एक मामला पाकुड़ एस.पी. और दूसरा जमतारा एस.पी. के खिलाफ था। पीड़ितों को लोकतांत्रिक व क़ानूनी तरीकों से लड़ाई लड़ने के लायक बनाकर, पॉपुलर फ्रंट उनके और कमज़ोर वर्गों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का काम कर रहा था और इस तरह इंसाफ की लड़ाई की एक मिसाल क़ायम कर रहा था। यही वह कारण है जिसके लिए पॉपुलर फ्रंट को झाराखण्ड में निशाना बनाया जाता रहा है। जब उन्हें लगा कि हमारा संगठन अदालतों में उनके लिए रूकावट बन रहा है, तो उन्होंने याचिकाकर्ताओं को ही रास्ते से हटाकर मुकदमों को प्रभावित करने की साज़िश रची। बैठक ने ख़बरदार करते हुए कहा कि इस प्रकार की कोशिशें हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं, क्योंकि अदालतें ही पीड़ितों की आख़री उम्मीद हुआ करती हैं। दरअसल, झारखण्ड सरकार सी.एल.ए. ऐक्ट 1908 का दुरूपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है।

बैठक में ऐसी रिपोर्टों पर भी चिंता जताई गई जिनमें यह बताया गया कि प्रतिबंध के बाद भी गतिविधियाँ जारी रखने के नाम पर निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मामले बनाए जा रहे हैं।

केंद्रीय सचिवालय की बैठक ने इस बात की पुष्टि की कि राज्य में संगठन की गतिविधियाँ रोकी जा रही हैं; हम प्रतिबंध वापस लेने के लिए संवैधानिक प्रावधानों और क़ानून के अनुसार क़ानूनी माध्यमों का सहारा लेंगे।

आर्मी चीफ से विवादित बयान वापस लेने की मांग

पॉपुलर फ्रंट की केंद्रीय सचिवालय की बैठक में पारित एक दूसरे प्रस्ताव ने आर्मी चीफ विपिन रावत की राजनैतिक टिप्पणी की गंभीरता को महसूस किया, जिन्होंने असम की राजनीतिक पार्टी एआईयूडीएफ की तरक्की पर चिंता जताई है। यह बेहद आपत्तिजनक बात है और यह उनके पद को शोभा नहीं देती। इससे सेना के रोल के बारे में गलत इशारा मिलता है। लोकतांत्रिक रूप से सक्रिय राजनीतिक पार्टी के बारे में किसी आर्मी चीफ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले देखा है कि जब हमारे पड़ोसी देशों में राजनीति में सेना के हस्तक्षेप के कारण लोकतंत्र तबाह हो रहा था, उस वक्त हम अपने लोकतंत्र की मज़बूती और अपनी सेना की ईमानदारी पर गर्व महसूस कर रहे थे, जिनके बीच एक लाइन ऑफ कंट्रोल था। भले ही आर्मी चीफ के बयान से मौजूदा सरकार और उसके पीछे की ताकतें खुश होंगी, लेकिन उनके बयान से सेना के लिए राजनीति में हस्तक्षेप का एक ख़तरनाक उसूल पैदा हो जाता है। इसलिए बैठक ने इस विवादित बयान को वापस लेने की मांग की है।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना, वाइस चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम, सचिव अनीस अहमद व अब्दुल वाहिद सेठ, ई.एम. अब्दुल रहिमान और के.एम. शरीफ ने भाग लिया।

डॉ० मुहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
मुख्यालय, नई दिल्ली